13/11/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजर। पूर्व पेशी दिनांक 16/10/25 को वादी की ओर से NO निष्पादन लिखित दिनांक संबंध में वादी को अधिक मौका दिया गया। Note वादी वकील हाजर पेश नहीं किया गया। पत्रावली काफी लम्बे अर्से से लम्बित सुनवाई के संबंध नहीं है। परन्तु आज भी सुनवाई पेश नहीं किया गया। अतः वाद वादी अदम पैरवी Order 9 R 3 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती में कार्य होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:49:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)